

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02त0शि0/योजना-08/2023

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

विषय :- झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य के लिए होनेवाले सम्भावित व्यय के निमित्त कुल रू० 2,29,36,840/- (रू० दो करोड़ उनतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची की स्थापना विज्ञान का प्रचार-प्रसार करने एवं आम-जनों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने, विज्ञान केंद्रों, साईंस सिटी, तारामंडल, इनोवेशन हब आदि की स्थापना करने, शोध-अन्वेषण कार्य, वर्कशॉप, सेमिनार आदि के आयोजन के उद्देश्य से की गई है।

- 2) झारखण्ड राज्य में विज्ञान का प्रचार-प्रसार राज्य के दूरस्थ गांव तक किये जाने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 07/योजना दिनांक 16.05.2023 द्वारा कुल रू० 2,18,44,160/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता के सहयोग से जुलाई 2023 से 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस "Food & Health" तथा "Machines in Daily Life" विषयों पर संचालित किया जा रहा है, जिससे अबतक कुल 183 विद्यालयों के लगभग 95200 छात्र/छात्राएँ, 2100 शिक्षक/शिक्षिकाएँ एवं 7200 सामान्य जन लाभान्वित हुए हैं।
- 3) उपरोक्त दो मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के संचालन से छात्र-छात्राओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए दिनांक 27.09.2023 को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक में दो अन्य थीम पर दो अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के संचालन पर विचार करने का सुझाव दिया गया।
- 4) विदित हो कि NCSM, कोलकाता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अन्तर्गत संचालित एक स्वायत्त संस्था है, जो केन्द्र सरकार द्वारा साईंस सिटी, विज्ञान केन्द्र तथा इनोवेशन हब आदि की स्थापना हेतु अधिकृत है इसे Mobile Science Exhibition Bus की स्थापना एवं संचालन में भी दक्षता प्राप्त है।
- 5) उपरोक्त के आलोक में "Chemistry & Life (with focus on water)" तथा "Space Technology for Human Welfare" विषयों पर दो अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस का संचालन किया जा सकता है, जिससे राज्य के छात्र-छात्राओं को भविष्य में रसायन विज्ञान, जल की गुणवत्ता में सुधार, जल शोधन के तरीके, स्पेस टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में शोध कार्य करने एवं संबंधित नए-नए इनोवेशन करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा एवं आमजनों को भी इन क्षेत्रों में हो रहे आविष्कारों एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होगी।



- 6) तत्पश्चात् JCSTI का पत्रांक 299 दिनांक 27.12.2023 द्वारा दो भिन्न विषय पर दो अतिरिक्त Mobile Science Exhibition Bus की संचालन हेतु NCSM, कोलकाता से वार्षिक व्यय विवरणी के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में NCSM, कोलकाता का Email दिनांक 10.01.2024 तथा 03.06.2024 द्वारा दो भिन्न विषय पर Mobile Science Exhibition Bus (MSE) की संचालन के विन्दु पर सहमति दी गयी तथा NCSM, कोलकाता का पत्रांक 4026 दिनांक 21.02.2024 द्वारा वार्षिक व्यय विवरणी के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है। जिसमें यह उल्लेख है कि -

“वर्ष 2022 एवं 2023 में एम0एस0ई0 के संचालन के लिए JCSTI तथा NCSM के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट है, वर्ष 2023 में एक एम0एस0ई0 के संचालन पर खर्च रुपये 45.15 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) था। अतः प्रत्येक एम0एस0ई0 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वार्षिक वृद्धि की दर से वर्ष 2024 के लिए अनुमानित लागत रुपये 47.41 लाख तथा 2025 के लिए रुपये 49.78 लाख होगी (18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त)। अनुमानित लागत में यह मामूली वृद्धि साल भर उपयोग के कारण बस एवं प्रदर्शों के रखरखाव, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स के प्रतिस्थापन, बीमा आदि पर आये खर्च को वहन करने के लिए है। इसके अतिरिक्त एम0एस0ई0 के परिचालन के लिए तैनात जनशक्ति के वेतन में वृद्धि भी अनुमानित लागत में समाहित है”।

- 7) Mobile Science Exhibition Bus की संचालन हेतु NCSM, कोलकाता के द्वारा वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए समर्पित प्राक्कलित दर की Reasonability के विन्दु पर विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापान 418 दिनांक 18.04.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच की गयी एवं समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अन्तर्गत संचालित NCSM, जिसने अपने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए Mobile Science Exhibition Bus के संचालन हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन में दिये गये दर को Reasonable माना जा सकता है।
- 8) इस प्रकार NCSM, कोलकाता के द्वारा उपलब्ध कराया गया दो भिन्न विषय यथा - Chemistry & Life (with focus on water) तथा "Space Technology for Human Welfare" पर आधारित दो अतिरिक्त Mobile Science Exhibition Bus के संचालन हेतु वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 का वार्षिक व्यय विवरणी निम्नवत् है।

वर्ष 2024 हेतु प्राक्कलन	वर्ष 2025 हेतु प्राक्कलन
02 बस हेतु रु0 1,11,88,760/- (रु0 47.41 लाख +18% GST = रु0 55.9438 लाख प्रति बस की दर से)	02 बस हेतु रु0 1,17,48,080/- (रु0 49.78 लाख + 18%GST = रु0 58.7404 लाख प्रति बस की दर से)
कुल रु0 2,29,36,840/-	

- 9) JCSTI, Ranchi द्वारा उक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के भ्रमण का कार्यक्रम एवं सारणी (Schedule) निर्धारित कर NCSM, कोलकाता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित जिला के उपायुक्त के निदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)/जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) जिले के विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर JCSTI द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार विद्यालयों में मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस का भ्रमण कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस संबंधित जिला के DEO/DSE को रिपोर्ट करेंगे।

- 10) अतः झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य के लिए होनेवाले सम्भावित व्यय के निमित्त कुल रू0 2,29,36,840/- (रू0 दो करोड़ उनतीस लाख छतीस हजार आठ सौ चालीस) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 11) 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने हेतु अग्रिम के रूप में राशि रू0 2,18,44,160/- (दो करोड़ अठारह लाख चौवालिस हजार एक सौ साठ रुपये) (वर्ष 2023 में संचालन के पूर्व राशि रू0 1,06,55,400/- मात्र एवं वर्ष 2024 में संचालन के पूर्व राशि रू0 1,11,88,760/- मात्र) भुगतान की जायेगी।
- 12) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-004/796-अनुसंधान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-41-झारखण्ड कौंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, राँची-सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।
- 13) उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची होंगे एवं राशि की निकासी झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के PL खाता में संधारित राशि से की जायेगी।
- 14) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
- 15) राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- 16) स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्तन नहीं किया जायेगा। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
- 17) राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 18) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की भुगतान बैंक अकाउंट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।
- 19) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।
- 20) वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम 339-344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष-8448 से राशि की निकासी की जाएगी।
- 21) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
- 22) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।
- 23) प्रस्ताव वित्त विभाग की सशर्त सहमति प्राप्त है। विभाग द्वारा गठित टीम ने विषयांकित कार्य हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता द्वारा समर्पित प्राक्कलन में दिये गये दर को Reasonable माना है।



- 24) स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता एवं झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के बीच एकरारनामा (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसमें राशि के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें विधि विभाग द्वारा विधिक्षित एकरारनामा दिनांक 31.05.2023 के अनुसार होगी।
- 25) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2024 में मद सं० 27 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- 26) स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
- 27) व्यय विवरणी टी० वी० नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिक सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 02.त०शि०/योजना-08/2023

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 02.त०शि०/योजना-08/2023/17/योजना/राँची, दिनांक - 09.09.2024

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/कुलपति, सभी राजकीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/निर्गत शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.9.24
सरकार के प्रधान सचिव
RKS